

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास (म0प्र0)

क्रमोंक-179/25

देवास दिनांक- 23.12.2025

:- रिमाण्ड ड्यूटी आदेश :-

मैं भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास म.प्र. भा.ना.सु.सं. की धारा 13(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह जनवरी एवं फरवरी 2026 में आने वाले सार्वजनिक अवकाश में रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को उनके न्यायालय कक्ष में सायं 3 से 5 बजे तक कार्य संपादित करने हेतु आदेशित करता हूँ :-

मुख्यालय देवास

| क. | पीठासीन अधिकारी का नाम                      | जनवरी 2026 | फरवरी 2026 |
|----|---------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | श्रीमती दीक्षा मौर्य, जे.एम.एफ.सी.          | 17         | —          |
| 2  | श्री कुँवर युवराजसिंह, जे.एम.एफ.सी.         | 26         | —          |
| 3  | श्रीमती निकिता वार्ण्य पाण्डे, जे.एम.एफ.सी. | 03         | 1          |
| 4  | श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम.एफ.सी.         | 04         | 15         |
| 5  | श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी.              | 11         | 21         |
| 6  | श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी                  | 18         | 7          |
| 7  | श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी.                 | 25         | 8          |
| 8  | चंद्रा पंवार, जे.एम.एफ.सी.                  | 1          | 22         |

तहसील मुख्यालय सोनकच्छ

| क. | पीठासीन अधिकारी का नाम             | जनवरी 2026 | फरवरी 2026 |
|----|------------------------------------|------------|------------|
| 1  | श्री दशरथ सिंह भिड़े, जे.एम.एफ.सी. | 1, 11      | 22         |
| 2  | श्रीमती परिधि गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. | 25, 26     | 21         |
| 3  | सुश्री निकिता पंवार, जे.एम.एफ.सी.  | 17, 18     | 1, 15      |
| 4  | श्री शुभम गुप्ता, जे.एम.एफ.सी.     | 3, 4       | 7, 8       |

तहसील मुख्यालय टोंकखुर्द

| क. | पीठासीन अधिकारी का नाम                      | जनवरी 2026     | फरवरी 2026 |
|----|---------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी. | 17, 18, 25, 26 | 15, 21, 22 |
| 2  | सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.        | 1, 3, 4, 11    | 1, 7, 8    |

तहसील मुख्यालय बागली

| क. | पीठासीन अधिकारी का नाम                 | जनवरी 2026     | फरवरी 2026 |
|----|----------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | श्रीमती बबीता प्रजापत, जे.एम.एफ.सी.    | 17, 18, 25, 26 | 15, 21, 22 |
| 2  | श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी. | 1, 3, 4, 11    | 1, 7, 8    |
| 3  | सुश्री आयुषी मालवीय, जे.एम.एफ.सी.      | मातृत्व अवकाश  |            |

**तहसील मुख्यालय कन्नौद**

| क. | पीठासीन अधिकारी का नाम             | जनवरी 2026 | फरवरी 2026 |
|----|------------------------------------|------------|------------|
| 1  | श्रीमती रुषा उईके, जे.एम.एफ.सी.    | 1, 3, 4    | 15         |
| 2  | श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी. | 17, 18     | 1, 21, 22  |
| 3  | श्री कुंदन कछवाह, जे.एम.एफ.सी.     | 25, 26, 11 | 7, 8       |

**तहसील मुख्यालय खातेगांव**

| क. | पीठासीन अधिकारी का नाम              | जनवरी 2026     | फरवरी 2026 |
|----|-------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | श्रीमती राधा उईके, जे.एम.एफ.सी.     | 17, 18, 25, 26 | 15, 21, 22 |
| 2  | सुश्री तनिष्का वैष्णव, जे.एम.एफ.सी. | 1, 3, 4, 11    | 1, 7, 8    |

**नोट:-**

- उपरोक्त वर्णित तिथियों में मजिस्ट्रेट, कर्मचारियों सहित दिन में 3 बजे से 5 बजे तक न्यायालय में कार्य संपादित करेंगे। किसी कारणवश उक्त कार्य संपन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वे मुख्यालय अथवा तहसील में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट से चर्चा स्वयं करेंगे और मुख्यालय अनुमति मिलने पर वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में इस न्यायालय को सूचित करने के पश्चात ही मुख्यालय प्रस्थान करेंगे। मध्य में कोई शासकीय अवकाश घोषित होने पर उक्त दिवस का आकस्मिक कार्य मुख्यालय देवास में माह जनवरी में श्री प्रियांशु पाण्डे, माह फरवरी में श्री सौरभ जैन जे.एम.एफ.सी., सोनकच्छ में माह जनवरी में श्री शुभम गुप्ता जे.एम.एफ.सी., माह फरवरी में श्रीमती परिधि गुप्ता जे.एम.एफ.सी., टोंकखुर्द में माह जनवरी में सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी., माह फरवरी में श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय जे.एम.एफ.सी., बागली में माह जनवरी में श्रीमती वीणा अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी., माह फरवरी में श्रीमती बबीता प्रजापत, जे.एम.एफ.सी., कन्नौद में माह जनवरी में श्री कुंदन कछवाह जे.एम.एफ.सी., माह फरवरी में श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी. एवं खातेगाँव में माह जनवरी में सुश्री तनिष्का वैष्णव, जे.एम.एफ.सी. माह फरवरी में श्रीमती राधा उईके, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा सी.जे.एम. को लिखित सूचना दी जाकर अनुमति उपरांत ही रिमाण्ड ड्यूटी से विरत होंगे।
- यदि कोई मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग पर जाते हैं अथवा आकस्मिक अवकाश पर रहते हैं तो उक्त ट्रेनिंग अवधि/आकस्मिक अवधि में रिमाण्ड ड्यूटी का प्रभार वैसे ही रहेगा जैसे कार्यविभाजन पत्रक अनुसार उक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश अवधि में जाते समय प्रभार में रहता है।
- उक्त अवधि के दौरान किसी मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने पर या उसके आकस्मिक अवकाश पर होने की स्थिति में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन पदउत्तरवर्ती/प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एवं पद रिक्त रहने की दशा में प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

(भारत सिंह कमल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जिला देवास